पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-शासनादेश पृष्ठांकन-(100)/2024-25/ 272 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 18 अप्रैल, 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,

उत्तर प्रदेश (गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा को छोड़कर)।

विषय:- अंगदान हेतु जागरूकता तथा आम जन की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

कृपया अवगत कराना है कि डॉ0 मनसुख मांडविया, मा0 मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक, भारत सरकार के पत्र संख्या-अ0शा0पत्र सं0डी-22/604/आईसी/नोटो/23 दिनांक 24.01.2024 के क्रम में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-फाईल नं0-71-2099/15/2024-2-1/502083/2024, दिनांक 22.02.2024 द्वारा अंगदान हेतु जागरूकता तथा आम जन की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है कि :-

1. भारत सरकार की पहल आयुष्मान भव के अंतर्गत 17 सितम्बर, 2023 से नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाईजेशन (National Organ & Tissue Transplant Organisation) यानी नोटो (NOTTO) के वेब पोर्टल notto.abdm.gov.in के माध्यम से शुरू किये गए अंगदान प्रतिज्ञा पंजीकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,27,000 से अधिक देशवासी अंगदान की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत भी अंग दान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अंगदान प्रतिज्ञा का पंजीकरण किया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा ब्रेनस्टेम मृत्यूपरांत दान किये गए अंगों से 8 से 9 लोगों को नया जीवन मिलने की संभावना बनती है और ऊतकों(Tissue) से कई अन्य लोगों के जीवन की गुणवता में सुधार लाया जा सकता है। स्वाभाविक मृत्यु के पश्चात् भी उतकों का दान किया जा सकता है।

2. उल्लेखनीय है कि अंग विफलता से पीड़ित किसी भी उम्र के रोगी, दान किए गए अंग प्राप्त करने के लिए देश के किसी भी प्रत्यारोपण (Transplant) अस्पताल के माध्यम से राष्ट्रीय रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पंजीकरण नि:शुल्क है। पंजीकरण और अंगदान से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु नोटों के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4770 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में विभाग/ संस्थानों में अंगदान से संबंधित व्यापक जागरूकता बढ़ाने के लिए समुचित दिशा-निर्देश जारी करने हेतु निर्देश दिये गये हैं, ताकि सभी नागरिकों के बीच मिथकों को दूर करके अंग दाताओं की संख्या और अंतिम चरण की अंग विफलता से पीड़ित लोगों के बीच में अंतर को पाटा जा सके और इस अभियान में आम जन की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

अत: उपरोक्त के दृष्टिगत अंगदान हेतु जागरुकता तथा आम जन की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा दिये गये उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संबंध में अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।

3- समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

5- सहायक आयुक्त, राज्य कर, जवाहर भवन, लखनऊ।

अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।